भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2142
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

लंबित मामलों का बैकलॉग

2142. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

श्री नीलेश ज्ञानदेव लंकेः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानीय न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक लंबित मामलों के बड़े वैकलॉग के कारण हमारी न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास कम हुआ है ;

(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 28.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	86,844
2.	उच्च न्यायालयों	63,32,256
3.	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय	4,66,69,624

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित) में लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** में दिया गया है।

सरकार न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों के मुद्दे से अवगत है। हालांकि लंबित मामलों का मुद्दा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी सरकार आवश्यक संसाधन, अवसंरचनात्मक सहायता और नीतिगत हस्तक्षेप प्रदान करके न्याय परिदान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। न्यायिक दक्षता की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मामलों के त्वरित निपटारे और न्यायालयों के समग्र कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i. न्याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके दो उद्देश्य थे: व्यवस्था में देरी को कम करके न्याय तक पहुंच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों तथा कार्य-निष्पादन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके जवाबदेही बढ़ाना। यह मिशन न्यायिक प्रशासन में लंबित मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध समाधान के लिए एक समन्वयित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयी प्रक्रिया का पुनर्गठन और मानव संसाधन विकास पर ज़ोर सम्मिलित है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में इस स्कीम के आरंभ होने के बाद से 30.06.2025 तक 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 15,818 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 22,372 (30.06.2025 तक) हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 19,851 (30.06.2025 तक) हो गई है ।

iii. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-1 और चरण-2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को आईटी सक्षम बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया और 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया। 2977 स्थलों को वॉन कनेक्टिविटी प्रदान की गई। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई। वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल खाई को पाटने के लिए 778 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए। 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए, जिनमें मार्च 2023 तक 2.78 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया और 384.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 (2023-2027) को 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय में आसानी की व्यवस्था लाना है। इसका उद्देश्य न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है। अब तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेख के 506.05 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाई हुई है और 11 उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यात्मक है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 1814 हो गई है

iv. सरकार समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरती रही है। 01.05.2014 से 21.07.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 794 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से बढ़कर आज 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में निम्नलिखित वृद्धि हुई है:

तारीख को	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
31.12.2013	19,518	15,115
28.07.2025	25,843	21,122

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, सभी 25 उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। अब जिला न्यायालयों में भी बकाया समितियां गठित की गई हैं।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की गई है। 30.06.2025 तक, देश भर में 865 फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के उद्देश्य से, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने ब्लात्संग और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम को मंजूरी दी थी। 30.06.2025 तक, 392 अनन्य पोक्सो (ईपोक्सो) न्यायालयों सहित 725 एफटीएससी 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और कामकाज को सुचारू करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को उत्तरोत्तर बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, अगस्त, 2018 में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) आज्ञापक हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के शीघ्र समाधान हेतु माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है, जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्यों और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले की अवधि के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए प्रारंभ की गई एक अन्य नवीन विशेषता कलर बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जा सकने वाली स्थगन की संख्या

को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जहां न्यायालय में या मुकदमे-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व-निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	**मुकदमे-पूर्व मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
2025 (मार्च तक)	2,58,28,368	50,82,181	3,09,10,549
कुल	**22,21,01,916**	**5,33,91,016**	**27,54,92,932**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार विवरण

30 जून, 2025 तक	**दर्ज मामले**	**% वार ब्रेक अप**	**सलाह सक्षम**	**% वार ब्रेक अप**
लिंग-वार				
महिला	44,81,170	39.58%	44,21,450	39.55%
पुरुष	68,39,728	60.42%	67,58,085	60.45%
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	26,89,371	23.76%	26,48,100	23.69%
अन्य पिछड़ा वर्ग	35,64,430	31.49%	35,16,236	31.45%
अनुसूचित जाति	35,27,303	31.16%	34,90,737	31.22%

अनुसूचित जनजाति	15,39,794	13.60%	15,24,462	13.64%
कुल	**1,13,20,898**		**1,11,79,535**	

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड, आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल प्रारंभ किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति का संचार करने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब प्रारंभ किए गए हैं।

****

उपाबंध-1

'लंबित मामलों का बैकलॉग' के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2142 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

28.07.2025 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लंबित मामले
1.	आंध्र प्रदेश	8,99,526
2.	तेलंगाना	9,54,794
3.	अंदमान और निकोबार	8,299
4.	अरुणाचल प्रदेश	10,263
5.	असम	5,46,047
6.	बिहार	36,58,281
7.	चंडीगढ़	1,03,495
8.	छत्तीसगढ़	4,33,967
9.	दिल्ली	15,58,494
10.	दादरा और नागर हवेली तथा दीव और दमण	8,298
11.	गोवा	59,962
12.	गुजरात	16,48,509
13.	हरियाणा	15,06,784
14.	हिमाचल प्रदेश	6,73,692
15.	जम्मू-कश्मीर	3,35,513
16.	झारखंड	5,54,553
17.	कर्नाटक	22,10,048
18.	केरल	17,45,154
19.	लद्दाख	1,417
20.	मध्य प्रदेश	20,37,995
21.	महाराष्ट्र	58,03,555
22.	मणिपुर	13,785
23.	मेघालय	15,632
24.	मिजोरम	6,645
25.	नागालैंड	3,583
26.	उड़ीसा	16,93,114
27.	पुडुचेरी	35,406
28.	पंजाब	8,91,601
29.	राजस्थान	23,24,222
30.	सिक्किम	1,797
31.	तमिलनाडु	15,73,944
32.	त्रिपुरा	55,999
33.	संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	521
34.	उत्तर प्रदेश	1,13,94,105
35.	उत्तराखंड	3,24,441
36.	पश्चिमी बंगाल	35,76,183
	कुल	**4,66,69,624**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

'लंबित मामलों का बैकलॉग' के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2142 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

28.07.2025 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	इलाहाबाद	11,88,704
2.	बंबई	6,67,629
3.	कलकत्ता	1,94,800
4.	गुवाहाटी	62,670
5.	तेलंगाना	2,34,823
6.	आंध्र प्रदेश	2,48,292
7.	छत्तीसगढ	80,755
8.	दिल्ली	1,37,411
9.	गुजरात	1,74,820
10.	हिमाचल प्रदेश	1,00,268
11.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	45,296
12.	झारखंड	73,671
13.	कर्नाटक	3,18,580
14.	केरल	2,57,721
15.	मध्य प्रदेश	4,86,974
16.	मणिपुर	5,615
17.	मेघालय	1,369
18.	पंजाब और हरियाणा	4,34,073
19.	राजस्थान	6,61,083
20.	सिक्किम	255
21.	त्रिपुरा	1,214
22.	उत्तराखंड	57,293
23.	मद्रास	5,31,992
24.	उड़ीसा	1,53,477
25.	पटना	2,13,471
कुल		**63,32,256**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****